रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082021-229315 CG-DL-E-31082021-229315

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] No. 358] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2021/भाद्र 9, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2021/BHADRA 9, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2021

फा. सं. स्टैंडर्झ/एसपी-18/ए-1.12/एन-1.—खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) संशोधन विनियम, 2020 का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में प्रकाशित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. स्टैंडर्झ/एसपी-18/ए-1.12/एन-1, तारीख 10 नवंबर, 2020 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अविध समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 13 नवंबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है:

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थातः

4819 GI/2021 (1)

विनियम

- 1 **संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) प्रथम संशोधन विनियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और खाद्य कारोबार चालक को 1 मार्च, 2022 से इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018 में,—
 - (1) विनियम 7 के उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थातु:—
 - "(4) लौह के साथ शक्तिवर्धित खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर "थैलसेमिया से ग्रसित लोग चिकित्सा पर्यवेक्षण के अधीन ले सकेंगे और सिकल सेल अनीमिया से ग्रसित लोगों को लौह शक्तिवर्धित खाद्य उत्पाद न खाने की सलाह दी जाती है" कथन होगा:
 - (2) अनुसूची-। के -
 - (क). खंड 1 की सारणी के स्तंभ (1) के अधीन क्रम संख्या 1 के सामने स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में "आयोडीन पदार्थ" से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात,—

| क्रम.सं. | घटक | पोषक तत्वों का स्तर | पोषक तत्वों का स्रोत |
|----------|---------------|--|----------------------|
| "1. | आयोडीन पदार्थ | 15-30 भाग प्रति मिलियन (शुष्क भार आधार पर) | पोटेशियम आयोडेट"; |

(ख) 'सुदृढ़ीकृत दूध' से संबंधित खंड 3 में विद्यमान सारणी के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत्:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"3A. सुदृढ़ीकृत दुध पाउडरः

- (i) दूध पाउडर, जब सुदृढ़ीकृत किया जाए, को विटमिन ए और डी के ऐसे स्तरों से सुदृढ़ीकृत किया जाएगा कि उत्पाद के लेबल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार संघटित किए जाने पर अंतिम रूप से पुन: संघटित सुदृढ़ीकृत दूध 'सुदृढ़ीकृत दूध' से सम्बंधित अनुसूची-I के खंड 3 में विहित सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्तरों का अनुपालन करे।
- (ii) इसका प्रयोग पुन: संघटित सुदृढ़ीकृत दूध तैयार करने के लिए केवल सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों में किया जाएगा।
- (iii) खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अधीन उल्लिखित लेबलिंग उपबंधों के अतिरिक्त सुदृढ़ीकृत दूध पाउडर के लेबल पर निम्नलिखित कथन भी हो:
 - (क) सीधे उपभोग के लिए अनुशंसित नहीं;
 - (ख) केवल...... (सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम का नाम) के अधीन उपयोग के लिए;
 - (ग) केवल लेबल पर दिए गए निर्देशानुसार संपूर्ण सामग्री के पुन: संघटन के पश्चात उपभोग के लिए;
 - (घ) खोले गए पैक का उसी दिन उपभोग करें।";
- (ग) 'सुदृढ़ीकृत कच्चे चावल' से संबंधित खंड 6 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्,—"6. सुदृढ़ीकृत चावल"।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./222/2021-22]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 11/03/रजि./ सुदृढ़ीकरण/2014, तारीख 2 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्या द्वारा संशोधित किए गए थे:

(1) फा.स. आरईजी/सुदृढ़ीकरण संशोधन (1)/अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 18 दिसम्बर, 2020

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2021

F. No. Stds/SP-18/A-1.12/N-1.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Amendment Regulations, 2020, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. Stds/SP-18/A-1.12/N-1, dated the 10th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 13th November, 2020;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (e) of sub-section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018, namely:—

Regulations

- 1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) First Amendment Regulations, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and food business operator shall comply with all the provisions of these regulations with effect from 1st March, 2022.
- 2. In the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018,—
 - (1) for sub-regulations (4) of regulations 7, the following shall be substituted, namely:—
 - "(4) Every package of food, fortified with Iron shall carry a statement "People with Thalassemia may take under medical supervision and persons with Sickle Cell Anaemia are advised not to consume iron fortified food products.";
 - (2) in Schedule-I,—
 - (a) in clause 1, in table, under column (1), at serial number 1, for the entries under column (2) to (4), relating to "Iodine Content", the following shall be substituted, namely:—

| S.No. | Component | Level of nutrients | Source of Nutrients |
|-------|----------------|--|---------------------|
| "1. | Iodine content | 15-30 part per million (on dry weight basis. | Potassium Iodate"; |

(b) in Clause 3, related to the 'Fortified Milk', after the existing table, the following shall be inserted, namely:—

"3A. Fortified Milk Powder:

- (i) Milk powder, when fortified, shall be fortified with such levels of Vitamin A and D, so that the final reconstituted fortified milk shall comply with the levels of micronutrients specified in Clause 3 of Schedule-I related to 'Fortified Milk', when constituted as per the directions mentioned on the product label.
- (ii) It shall only be used in the Government Funded Programs for the purpose of preparation of 'Reconstituted Fortified Milk';
- (iii) In addition to the labelling provisions mentioned under Food Safety and Standards Regulations, the label of Fortified Milk Powder shall also carry the following statement:
 - (a) NOT RECOMMENDED FOR DIRECT CONSUMPTION;

 (b) ONLY FOR USE UNDER (Name of the Covernment Five)
 - (b) ONLY FOR USE UNDER _____ (Name of the Government Funded Programme);
 - (c) TO BE CONSUMED ONLY AFTER RECONSTITUTION OF THE ENTIRE CONTENT AS PER THE DIRECTIONS ON THE LABEL.
 - (d) PACK ONCE OPENED, TO BE CONSUMED ON THE SAME DAY.";
- (c) for clause 6, related to 'Fortified Raw Rice', the following shall be substituted, namely:—
 "6. Fortified Rice".

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./222/2021-22]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number File No. 11/03/Reg/Fortification/2014, dated the 2nd August, 2018 and subsequently amended vide notification numbers. –

(1) F. No. REG/Fortification Amendment (1)/Notification/FSSAI-2018, dated 18th December, 2020.